संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1516 भोपाल, दिनांक 21/8/2018

//आदेश//

संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका/डीई–2/2018/1338, दिनांक 17.07.2018 को जारी आदेश के द्वितीय पैरा में डॉ.श्रीमती लेखा तिवारी, तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय गुना (वर्तमान पदस्थापना अशोक नगर) के विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर जांचकर्ता अधिकारी त्रुटिवश टंकित हो गया है। उक्त आदेश के द्वितीय पैरा में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के स्थान पर डॉ.बी.एन.चौहान, संचालक स्वास्थ्य सेवायें, एन.एच.एम. पढा जावे।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

संयुक्त संचालक (शिकायत)
लिंक अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला गुना।
4. संचालक आयोग शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. डॉ.बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम. (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
8. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक गुना।
11. डॉ.श्रीमती लेखा तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना/अशोक नगर । कृपया आदेश की तामीली/पावती उपलब्ध करावें।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
13. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
लिंक अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1441 भोपाल, दिनांक 6/8/18

//आदेश//

डॉ.पुष्पेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त शल्य क्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय रतलाम के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/ शिका/सेल–7/रतलाम/फा.नं.–74 / 2014/107, दिनांक 12.01.2015 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक को डॉ.पुष्पेन्द्र शर्मा के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर रतलाम/शिवपुरी ।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

................2

6. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, (कार्यालय) संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन
9. डॉ.पुष्पेन्द्र शर्मा, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय रतलाम द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.पुष्पेन्द्र शर्मा को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावें।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1437 / भोपाल, दिनांक 4/8/18

//आदेश//

डॉ.अनुसुईया गवली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन शाजापुर, श्री कैलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर, श्री एस.पी.जोशी, लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी, श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका /सेल–7 /फा.नं. 59/शाजापुर/2017/1834, दिनांक 16.11.2017 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.अनुसुइया गवली, श्री कैलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर, श्री एस.पी.जोशी, लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी, श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला शाजापुर।
4. संचालक, एन.एच.एम. म.प्र., भोपाल।
5. संचालक स्वास्थ्य सेवायें विधान सभा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।

8. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक सप्ताह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
10. डॉ.अनुसुइया गवली, तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन शाजापुर, (1.) श्री कैलाश बाबू वर्मा (निलंबित) ड्रेसर, (2) श्री एस.पी.जोशी, लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी, (3) श्री अनिल शर्मा सह स्टेशनरी कय प्रभारी शाजापुर द्वारा– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आदेश की तामीली/पावती उपलब्ध करावें।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1435 भोपाल, दिनांक 04-8-18

//आदेश//

डॉ.उषा तिवारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 /शिका /सेल–3 /फा. नं. 38/छतरपुर/2018/135, दिनांक 22.01.2018 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को उषा तिवारी के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला परिवार कल्याण अधिकारी छतरपुर यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1436 भोपाल, दिनांक 04-8-18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला छतरपुर।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवायें विधान सभा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर जांचकर्ता अधिकारी की ओर सूचनार्थ ।
8. जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी – द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

9. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक सप्ताह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। **प्रकरण विधान सभा आश्वासन से संबंधित है।**
10. डॉ.उषा तिवारी, महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर । कृपया आदेश की तामीली/पावती उपलब्ध करावें।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

**कमांक/4/शिका./सेल–1/टीकमगढ/2018** 1398 **भोपाल दिनांक** 30/7/18

**//आदेश//**

कलेक्टर टीकमगढ से प्राप्त पत्र में उल्लेखित अनुशंसा के आधार पर डॉ. गुप्ता को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत संचालनालय के आदेश कमांक 1901 दिनांक 24.11.2017 के द्वारा निलंबित किया गया एवं संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 01.01.2018 के द्वारा आरोपत्रादि जारी किये गये ।

डॉ. गुप्ता द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 06.01.2018 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । परीक्षण उपरांत प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक न पाये जाने पर डॉ. गुप्ता के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया ।

डॉ. गुप्ता के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में श्री दिनेश चंद्र सिंघी (सेवानिवृत्त) विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है । जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण कर प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

**स्वास्थ्य आयुक्त महोदया द्वारा आदेशित**

**(डॉ. जे.पी. खरे)**
**संयुक्त संचालक (शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश**

कमांक/4/शिका./सेल–1/टीकमगढ/2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपालम.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला टीकमगढ म.प्र.।
4. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, जांच अधिकारी,(जांचकर्ता अधिकारी) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेख सागर संभाग सागर म.प्र. ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र. ।
10. जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख समयसीमा में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए जांच में सहयोग प्रदान करें ।
11. डॉ. हर्ष गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, (निलंबित) जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र. द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र. ।
12. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश नस्ति

**संयुक्त संचालक (शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1396 भोपाल, दिनांक 30/7/18

//आदेश//

डॉ.एस.एस.बघेल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, बडवानी (सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/सेल–2/फा.क्र. 32/2017/515, दिनांक 20.03.2017 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेश चन्द्र सिंघी,सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.एस.एस.बघेल के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला बडवानी।
4. संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल ।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ~~इंदौर~~ संभाग ~~इंदौर~~ (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

................2

8. श्री दिनेशचन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाये इंदौर संभाग इंदौर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. डॉ.एस.एस.बघेल,तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी की ओर भेजकर लेख है कि आदेश डॉ.एस.एस.बघेल को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध करावें।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / 1373 भोपाल, दिनांक 28/7/18

**/ / संशोधन आदेश / /**

डॉ.बबीता नांदुरकर, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीथमपुर जिला धार के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच में आदेश क्रमांक 4 / शिका. / सेल–2 / फा.नं.–27 / धार / 2017 / 2081, दिनांक 30.12.2017 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था । डॉ.बबीता नांदुरकर को जारी आरोप पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार को साक्ष्य सूची में गवाह भी बनाया गया है। अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर के शिकायत शाखा के प्रभारी संयुक्त संचालक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर जांचकर्ता अधिकारी यथावत रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला इंदौर / धार।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर म.प्र. (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण का जांच प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. संयुक्त संचालक प्रभारी शिकायत शाखा कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर।
9. डॉ.बबीता नांदुलकर, चिकित्सा अधिकारी– द्वारा –मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1345 भोपाल, दिनांक 19/7/18

//आदेश//

डॉ.एस.के.चंदैया, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनखेडी जिला होशंगाबाद वर्तमान में राजगढ के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/ शिका/सेल–5/फा.नं.–48/होशंगाबाद/2015/1425, दिनांक 19.06.2015, के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक को डॉ.एस.के.चंदैया के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद।
4. कलेक्टर होशंगाबाद ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

.................2

7. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ।
10. डॉ.एस.के.चंदैया, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में राजगढ– द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद/राजगढ।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1338 भोपाल, दिनांक 17/7/18

//आदेश//

डॉ.(श्रीमती) लेखा तिवारी, तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय,गुना (वर्तमान पदस्थापना अशोक नगर ) के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 /शिका /सेल–7 /फा.नं.02/गुना/2016/853, दिनांक 26.03.2016 के द्वारा डॉ.बी.एन. चौहान, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, एन.एच.एम. को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.श्रीमती लेखा तिवारी के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला गुना।
4. संचालक आयोग शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. डॉ.बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम. (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
8. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

................2

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक गुना।
11. डॉ.श्रीमती लेखा तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना/अशोक नगर । कृपया आदेश की तामीली/पावती उपलब्ध करावें।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
13. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1336 भोपाल, दिनांक 7/7/18

//आदेश//

डॉ.नीरज सिंह, मेडिकल आफीसर, सामुदायिक स्वासथ्य केन्द्र कोलारस जिला शिवपुरी के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/ डीई–2/एफ–339/शिवपुरी/2014/325, दिनांक 21.02.2014 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) ग्वालियर संभाग ग्वालियर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच प्रकरण में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक को डॉ.नीरज सिंह के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला शिवपुरी।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

............2

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. डॉ.नीरज सिंह चिकित्सा अधिकारी, द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी/अशोक नगर, म.प्र.।

9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।

10. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1331 भोपाल, दिनांक 16/7/18

//आदेश//

डॉ.जगदीश प्रसाद, तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन जिला सिवनी के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 /शिका /सेल–3 /फा.नं.55/सिवनी/2017/1836, दिनांक 16.11.2017 के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. जबलपुर संभाग जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.जगदीश प्रसाद के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला सिवनी।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ।
6. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

................2

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम ।
9. डॉ.जगदीश प्रसाद, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन जिला सिवनी द्वारा–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी ।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1329 भोपाल, दिनांक 16/7/18

//आदेश//

डॉ.एस.आर.चौहान, तत्कालीकन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/ शिका/ सेल–7/मंदसौर/2018 /2725, दिनांक 23.10.2015 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.एस.आर.चौहान के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यथावत रखा जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला मंदसौर ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन (जांचकर्ता अधिकारी) ।
7. श्री दिनेशचन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

..................2

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मंदसौर।
10. डॉ.एस.आर.चौहान,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1327 भोपाल, दिनांक 16/7/18

//आदेश//

डॉ.मंजू सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/सेल–7/रतलाम/फा.नं.107/2015/2242, दिनांक 24.08.2015 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर श्री दिनेशचन्द्र सिंघी सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी को डॉ.मंजू सिंह के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला रतलाम।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. श्री दिनेश चन्द्र सिंघी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर प्रवर श्रेणी (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. डॉ.मंजू सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय रतलाम द्वारा–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम ।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1325 भोपाल, दिनांक 16/7/18

//आदेश//

डॉ.प्रदीप सक्सेना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल डबरा जिला ग्वालियर के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/डीई–2/2016/128, दिनांक 25.01.2016 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) ग्वालियर संभाग ग्वालियर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर ~~को~~ जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ.राधावल्लभ शर्मा, अतिरिक्त संचालक को डॉ.प्रदीप सक्सेना के विभागीय प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. डॉ.प्रदीप सक्सना, स्त्री रोग विशेषज्ञ सिविल अस्पताल डबरा जिला ग्वालियर द्वारा –मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ 1323 भोपाल, दिनांक 16/7/18

//आदेश//

डॉ.डी.पी.सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, होशंगाबाद ( वर्तमान में निलंबित मुख्यालय जबलपुर ) के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/ डीई–2/2018/193, दिनांक 25.01.2018 के द्वारा डॉ.के.के.ठस्सू, संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। संचालनालय द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु विभागीय जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त आदेश के पालन में उल्लेखित विभागीय जांच आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ.के.के.ठस्सू, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल जांचकर्ता अधिकारी के स्थान पर डॉ. राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक को डॉ.डी.पी.सिंह के विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल यथावत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**<u>(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)</u>**

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर जिला भोपाल/नरसिंहपुर ।
5. डॉ.के.के.ठस्सू, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी)
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में तत्काल विभागीय जांच अधिकारी से संपर्क कर प्रकरण में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

................2

8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
9. डॉ.राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक (विभागीय जांच अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर ।
12. डॉ.डी.पी.सिंह, सर्जिकल विशेषज्ञ, चिकित्सालय नरसिंहपुर वर्तमान में निलंबित द्वारा–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, नरसिंहपुर।
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
14. आदेश नस्ती।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/अविज्ञप्त/दै.वे.भो./रतलाम/2018/646-III        भोपाल, दिनांक 27.6.18

// आदेश //

जिला रतलाम में वर्ष 1998 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉ.(श्रीमती) सी.के.ठाकुर के पदस्थी दौरान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रतलाम ने उनके आदेश क्रमांक.865/दिनांक 23.03.1998 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जिसमें डॉ.(श्रीमती) ठाकुर विभागीय पदोन्नति समिति में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किये जाने के पश्चात् डॉ.(श्रीमती)सी.के.ठाकुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.1998 को आयोजित की गई जिसमें डॉ.ठाकुर द्वारा वार्ड बॉय,आया, भृत्य,चौकीदार, क्लीनर एवं ओ0टी0अटेन्डेंट के पद पर नियमितिकरण हेतु 23 तथा स्वीपर के पद पर नियमितिकरण पद हेतु 11 इस प्रकार कुल 34 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमिति करण की अनुशंसा नियम विरूद्ध तरीके से किये जाने **तथा** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक.एफ.7631/97/मेडि–1/2017/भोपाल दिनांक 10.12.1997 के द्वारा स्वीपर के पद को डाइंग केडर धोषित किये जाने के बावजूद डॉ.(श्रीमती) सी.के.ठाकुर द्वारा स्वीपर के पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण करने के अनुशंसा कर शासन आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने संबंधी प्रकरण में डॉ.(श्रीमती) सी.के.ठाकुर को संचालनालय के पत्र क्रमांक.4/अविज्ञप्त/दै.वे.भो./2015/281–बी/दिनांक 28.04.2015 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया जिसका प्रतिवाद उत्तर डॉ.(श्रीमती) ठाकुर द्वारा दिनांक 08.06.2015 के माध्यम से प्रस्तुत किया।

डॉ.(श्रीमती) सी0के0ठाकुर को संचालनालय द्वारा जारी आरोप पत्र **एवं** जारी आरोप पत्र के संदर्भ में डॉ.(श्रीमती) ठाकुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का संचालनालय स्तर पर सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में डॉ.(श्रीमती) सी.के.ठाकुर,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम के विरूद्ध एतद् आदेश द्वारा विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया जाकर संस्थित विभागीय जॉच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन को जॉचकर्ता अधिकारी **एवं** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर लेख किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जॉच 02 माह में पूर्ण कर, जॉच प्रतिवेदन अभिमत सहित स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।**

27/6/18
( विवेक श्रोत्रिय )
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

..........2

पृ.कमांक.4/अविज्ञप्त/दै.वे.भो./रतलाम/2018/647-M भोपाल, दिनांक 27.6.2018

**प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—**

01. प्रमुख सचिव,म0प्र0.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल, म0प्र0।
02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
03. निज सहायक,संचालक,प्रशासन स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
05. संयुक्त संचालक,शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
06. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
07. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन (प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी) की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश में वर्णित समयावधि को ध्यान में रखते हुये जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
08. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर की ओर उनके द्वारा संचालनालय को प्रेषित पत्र दिनांक 28.12.2017 के संदर्भ में प्रेषित।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम (प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित आदेश में वर्णित समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर एवं उज्जैन संभाग,मध्यप्रदेश।
12. जिला कोषालय अधिकारी जिला इन्दौर एवं उज्जैन,मध्यप्रदेश।
13. डॉ.(श्रीमती) सी.के.ठाकुर,**तत्कालीन** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम **वर्तमान में** सेवानिवृत्त उप संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,कार्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर **द्वाराः—क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।**
14. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
15. आदेश नस्ति ।

27/6/18

**अपर संचालक (प्रशासन)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश.**

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/बैतूल/2018/1199 — भोपाल, दिनांक 21/06/2018

**:: आदेश ::**

डॉ. संध्या नेमा, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बैतूल को 14–15 जून 2017 को श्रीमती नाजिया शेख की डिलीवरी में तत्परता से कार्यवाही न करने के कारण मृत शिशु को जन्म दिये जाने की घटना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल द्वारा जॉच में दोषी पाया गया है। डॉ. संध्या नेमा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत संचालनालय के आदेश कमांक 1019 दिनांक 29.6.17 के माध्यम से निलंबित किया गया तथा म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश कमांक एफ 19/2/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 30/1/2018 को डॉ. संध्या नेमा को प्रशासकीय दृष्टि से निलंबन से बहाल कर जिला चिकित्सालय होशंगाबाद पदस्थ करते हुए विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ. संध्या नेमा, तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बैतूल वर्तमान में जिला चिकित्सालय होशंगाबाद के विरूद्व संस्थित विभागीय जॉच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये भोपाल को जॉचकर्ता. अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जॉच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जॉच एक माह में पूर्ण करके प्रतिवेदन अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

**(स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)**

(डॉ0 जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक/4/शिका./सेल–5/बैतूल/2018/ — भोपाल, दिनांक 06.2018

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय ।
3. कलेक्टर जिला होशगाबाद/बैतूल मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, संभाग, भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद/बैतूल।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशगाबाद म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख समय सीमा में जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए जॉच में सहयोग प्रदान करें।
8. डॉ. संध्या नेमा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जिला–होशगाबाद।
9. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ती ।

संयुक्त संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**मध्यप्रदेश शासन**
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
**मंत्रालय**

**//आदेश//**

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 13–03/2018/17/मेडि–1 :: डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा, तत्कालीन प्रभारी सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम की लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 218/14 से उद्भूत विभागीय जांच में इस विभाग के आदेश क्रमांक 4118/4800/2016/सत्रह/मेडि–1, दिनांक 09.12.2016 द्वारा आयुक्त, विभागीय जांच, म.प्र. शासन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को "जांचकर्ता अधिकारी" एवं इस विभाग के आदेश क्रमांक 745/4800/2016/सत्रह/मेडि–1, दिनांक 05.04.2018 द्वारा श्री विवेक श्रोती, अपर संचालक (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

2/– राज्य शासन एतद् द्वारा उपर्युक्त दोनों आदेश क्रमशः दिनांक 09.12.2016 एवं दिनांक 05.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए, क्रमशः अपर संचालक (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र, भोपाल को इस विभागीय जांच के प्रकरण में "जांचकर्ता अधिकारी" एवं उप संचालक (विज्ञप्त), कार्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र, भोपाल को "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" नियुक्त करता है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता0/–
(अजय नथानियल)
**अवर सचिव**
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 13/06/ 2018

पृ.क्रमांक एफ 13–03/2018/17/मेडि–1

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को अग्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव (कार्मिक), म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3– आयुक्त, विभागीय जांच, म.प्र. शासन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल ।
4– विधि सलाहकार–तृतीय, लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 2693/जा.प्र. 218/14 दिनांक 22.05.18 के संदर्भ में ।
5– श्री विवेक श्रोती, अपर संचालक (प्रशासन), कार्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र, भोपाल (जांच अधिकारी) की ओर उक्त विभागीय जांच के प्रकरण से संबंधित समस्त मूल अभिलेख (संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार) संलग्न कर अनुरोध है कि जांच कार्यवाही अधिकतम 01 माह की समयावधि में पूर्ण करते हुए अपना जांच प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें ।
6– उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु एवं जांच में पूर्ण सहयोग कर जांच की कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण कराने हेतु ।
7– संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर आदेश की एक प्रति डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा के वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु ।
8– डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा, तत्कालीन प्रभारी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतलाम।
9– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

**अवर सचिव**
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश**

**कमांक.4/शिका/सेल.7/दतिया/2018/1113** **भोपाल, दिनांक 13-6-18**

**// आदेश //**

जिला दतिया में डॉ.आर.एस.गुप्ता के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दिनांक 28.04.2008 से 27.08.2009 तथा दिनांक 01.07.2010 से 25.12.2016 तथा दिनांक 21.04.2017 से दिनांक 27.09.2017 तक की अवधि में पदस्थी के दौरान वर्ष 2016 में संचालनालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदेश के दतिया जिले में अन्य जिलों से फर्जी स्थानांतर आदेशों एवं फर्जी कोड के माध्यम से विभाग के अधीन फर्जी व्यक्तियों/कर्मचारियों को डॉ.गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण कराये जाने संबंधी शिकायत की जांच, संचालनालय स्तर से गठित जांच दल से पूर्ण कराई जिसमें जांच दल द्वारा प्रकरण की जांच पूर्ण कर,जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किये जाने पर डॉ.आर.एस.गुप्ता के विरूद्ध उपरोक्त तथ्य प्रमाणित पाये जाने के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध संचालनालय के पत्र कमांक.4/शिका./सेल.7/दतिया/2018/372/दिनांक 20.02.2018 द्वारा उन्हें आरोप पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया।

डॉ.आर.एस.गुप्ता को संचालनालय स्तर से जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर उनके द्वारा दिनांक 08.03.2018 के माध्यम से संचालनालय प्रस्तुत किया जिसका संचालनालय स्तर पर सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात् डॉ.गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने के परिणामस्वरूप डॉ.आर.एस. गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया वर्तमान में उप संचालक,क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर के विरूद्ध एतद् आदेश द्वारा विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लेते हुये, संस्थित विभागीय जॉच प्रकरण में अपर संचालक,प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को जॉचकर्ता अधिकारी **एवं** संयुक्त संचालक,अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर लेख किया जाता है कि प्रकरण की विभागीय जॉच 02 माह में पूर्ण कर, जॉच प्रतिवेदन अभिमत सहित स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को उपलब्ध करावें ।

**<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>**

**( डॉ.जे.पी.खरे )**
**संयुक्त संचालक (शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश.**

**पृ.कमांक.4/शिका/सेल.7/दतिया/2012/** **भोपाल, दिनांक**

**प्रतिलिपिः--सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--**

01. विधि सलाहकार,पांच नाम से लोकायुक्त कार्यालय, पुराना सचिवालय,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर लोकायुक्त जांच प्रकरण कमांक.636/17 के संदर्भ में प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव,म0प्र0.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल,म0प्र0।
03. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
04. अपर संचालक,प्रशासन (जांचकर्ता अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
05. संयुक्त संचालक,अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय उक्त प्रकरण में (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच में जांचकर्ता अधिकारी को सहयोग प्रदान करें।
06. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
07. उप संचालक,अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय की आबंटित विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.7 दिनांक 01.03.2018 एवं प्रश्न कमांक.5414 दिनांक 20.03.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
08. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रश्न कमांक.7 दिनांक 01.03.2018 एवं प्रश्न कमांक.5414 दिनांक 20.03.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
09. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर **एवं** क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
11. संभागीय कोष एवं लेखा ग्वालियर एवं जबलपुर संभाग,मध्यप्रदेश।
12. जिला कोषालय अधिकारी जिला दतिया एवं जबलपुर,मध्यप्रदेश।
13. डॉ.आर.एस.गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया **वर्तमान में** उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश **द्वाराः**-- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
14. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय।
15. आदेश नस्ति ।

**संयुक्त संचालक (शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश.**

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
## मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

**//आदेश//**

संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/कार्या.स्था./सेल–1/2016/10 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा डॉ. फणीन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप संचालक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक को जांचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. श्रीमती भूषण श्रीवास्तव, उप संचालक, अस्पताल प्रशासन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

डॉ. श्रीमती भूषण श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, (तात्कालीन उपसंचालक) स्वास्थ्य सेवायें भोपाल दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त हो चुकी है।

अतः डॉ. फणीन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप संचालक के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में डॉ. राजेश कठल, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तथा जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण कर, प्रतिवेदन अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2018/ 674 भोपाल, दिनांक 23/4 /2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, अस्पताल प्रशासन शाखा, स्थानीय कार्यालय।
3. अपर संचालक, वित्त स्थानीय कार्यालय।
4. डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक स्वास्थ्य स्थानीय कार्यालय।
5. डॉ. राजेश कठल, संयुक्त संचालक, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर लेख है कि जांचकर्ता अधिकारी से नस्ती प्राप्त कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. डॉ. फणीन्द्र शर्मा, प्रभारी उप संचालक द्वारा अधिष्ठाता, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
7. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की भेजकर लेख है कि जारी आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. आदेश नस्ति

20/4/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

Order Scn-2018.doc2

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–व्ही.सी./एफ 54/2013/2018 660 भोपाल दिनांक 27/3..2018

## आदेश

डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातीबड़ जिला भोपाल को संचालनालय के आदेश क्रमाक 2247 दिनांक 13.9.2013 के द्वारा निलंबित किया जाकर ज्ञाप क्रमांक2351 दिनांक 23.9.2013 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया एवं प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से चाहा गया। डॉ प्रमोद श्रीवास्तव द्वारा आरोप पत्र कि पावती देने से मना कर दिया जिसके कारण दिनाकं 26.10.2013 को आरोप पत्र उनके निवास पर चस्पा किया गया।

डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नही करने के कारण विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को विभागीय जांच अधिकारी तथा कार्यालय क्षेत्रीय संचालक भोपाल, संयुक्त संचालक डॉ. अमृत लाल मारावी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करके जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**पृ. क्रमांक/5/शिका./सेल–व्ही.सी./एफ 54/13/2018 . भोपाल दिनांक .3.2018**
**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला भोपाल,म0प्र0।
4. उप संचालक विज्ञप्त, गोपनीय,लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल संभाग भोपाल, कृपया आदेश को तामील करवाकर तत्काल पावती संचालनालय को उपलब्ध करवाऐं।
6. डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशगाबाद/भोपाल म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश नस्ति

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

## संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु/फा.239/ भोपाल दिनांक /03/2018,

**आदेश**

डॉ0 धर्मेश बनोधा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूंदी जिला खण्डवा के दिनांक 23.05.2011 से कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 504 दिनांक 07.09.2011 द्वारा उनके विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 27 सह पठित मूलभूत नियम 17–ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस एवं ज्ञाप क्रमांक 506 दिनांक 07/09/2011 आरोप–पत्र जारी किया गया। डॉ0 धर्मेश बनोधा द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 27.09.2011 को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नहीं होने के कारण डॉ0 धर्मेश बनोधा के विरूद्ध आरोपित आरोपों की जांच हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अर्न्तगत विभागीय जांच संस्थित की जाती हैं।

अतः डॉ0 धर्मेश बनोधा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये इन्दौर को विभागीय जांच अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

***(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित )***

(डॉ0 जे.पी.खरे)
उप संचालक(शिकायत)
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्यप्रदेश**

पृ0 क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.239/ 41 भोपाल दिनांक 01 /03/2018,

**प्रतिलिपिः–**

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (जांचकर्ता अधिकारी) इन्दौर की ओर।
3. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
4. मुख्य अस्पताल अधिक्षक (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) जिला खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पृष्ठांकन प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित चिकित्सक को तामील करना सुनिश्चित कर पावती की छायाप्रति संचालनालय को 7 दिवस में भेजें।
5. डॉ0 धर्मेश बनोधा, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खण्डवा पता 8–गोयल नगर मेन, चमेली पार्क के सामने, इन्दौर म.प्र.पिन–452018,
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्टॉक फाईल।

(डॉ0 जे.पी.खरे)
उप संचालक(शिकायत)
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्यप्रदेश**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/५५२ भोपाल, दिनांक २५-२-२०१८

//आदेश//

डॉ.ए.के.मेहता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/सेल–2/फा.नं. 373/बडवानी/2018/156, दिनांक 23.01.2018 के द्वारा के द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यथावत रहेंगे। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)**

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/५५३ भोपाल, दिनांक२५-२-२०१८

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन/इंदौर/बडवानी ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर प्रकरण में तत्काल कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. डॉ.ए.के.मेहता, संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन – द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-7/देवास/2018 | ५२० भोपाल दिनांक २५-२-२०१८

आदेश

जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) देवास के पत्र क्र. 1271 दिनांक 18.04.2017 द्वारा अवगत कराया है कि थाना सतवास के मर्ग क्रमांक 21/2016 धारा 174 जाफौ की जॉच के दौरान मृतिका संगीता की मॉ लीलाबाई एवं मृतका के पिता नंदलाल तथा डॉ. रवि वर्मा का कथन एवं पी.एच.सी. सतवास तथा एनर्जी हॉस्पिटल देवगुराडिया से प्राप्त संगीताबाई के इलाज के कागजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 25.07.2016 को संगीताबाई का टी.टी. नसबंदी का ऑपरेशन पी.एच.सी. सतवास में डॉ. अर्चना मिश्रा पति श्री रितेश तंवर पी.एस.सी. सतवास के द्वारा किया गया। लेख किया गया है कि उन्होने नसबंदी के लिए बच्चादानी व अंडाशय के बीच की वाहन नली के स्थान पर लापरवाही पूर्वक पेट की बडी ऑत काट दी। दिनांक 28.07.2016 तक पी.एच.सी. सतवास में रखने के बाद एम.जी.एच. हॉस्पिटल देवास रिफर किया गया। संगीता बाई के परिजनो द्वारा एनर्जी हॉस्पिटल देवगुरडिया ले जाकर भर्ती करवाया गया। जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 30.07.2016 को मृत्यु हो गयी। मर्ग जॉच पर डॉ. अर्चना मिश्रा पति श्री रितेश तवर के विरूद्ध धारा 304 – ए भदवि का अपराध पाए जाने से थाना सत्वास पर अपराध क्रमांक 339/2016 धारा 304 – ए भदवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा डॉ. बी.एन. चौहान संचालक के नेतृत्व में जॉच दल गठित कर जॉच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है।

1 संचालक स्वास्थ्य सेवाये, – डॉ. बी.एन. चौहान अध्यक्ष।
2 उप संचालक, मातृत्व स्वास्थ्य – डॉ. श्रीमती अर्चना मिश्रा।
3 उप संचालक, परिवार कल्याण – डॉ. निधी पटेल।

जॉच दल एक महिने में अपना जॉच प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध करावेगा।

**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।**

(डॉ. जे.पी. खरे)
उपसंचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-7/देवास/2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी'– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला देवास म.प्र.।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवाये, – डॉ. बी.एन. चौहान।
5. उप संचालक, मातृत्व स्वास्थ्य – डॉ. श्रीमती अर्चना मिश्रा।
6. उप संचालक, परिवार कल्याण – डॉ. निधी पटेल।
7. पुलिस अधीक्षक देवास म.प्र.।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास म.प्र.।

उपसंचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / ५०५ भोपाल, दिनांक २३-२-२०१८

/ / आदेश / /

डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4 / शिका / डीई–2 / 2016 / 130, दिनांक 25.01.2016 के द्वारा डॉ. बी. एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम., म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा (क्षेत्रीय संचालक रीवा) को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था । उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा को जांचकर्ता अधिकारी तथा उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

(डॉ.जे.पी.खरे)
उप संचालक (शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 4 / शिका. / डीई–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला अनूपपुर।
4. डॉ.बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम. म.प्र. भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. उप संचालक कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर ।
10. डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर। द्वारा –क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/उज्जैन/फा.न.124/2018 /1365 भोपाल दिनांक 19/2/18

**आदेश**

डॉ. महेश मरमट अस्थिरोग विशेषज्ञ ट्रामा सेंटर माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन को संचालनालय के आदेश क्रमांक 2119 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा निलंबित किया जाकर ज्ञाप क्रमांक 2455 दिनांक 24.09.2015 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया एवं प्रतिवाद उत्तर संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन के माध्यम से चाहा गया। डॉ. मरमट को शासन आदेश क्रमांक 1654/779/2016/17 मेडि–1 दिनांक 19.07.2016 के द्वारा ,निलंबन से बहाल करके जिला चिकित्सालय शाजापुर में पदस्थ किया गया।

डॉ. मरमट द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नही करने के कारण विभागीय जांच संस्थित करते हुए क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच एक माह में पूर्ण करके जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।</u>

(डॉ. जे.पी. खरे)
उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/उज्जैन/फा.न. 124/2018 /1366 भोपाल दिनांक 19/2/18

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला उज्जैन/शाजापुर म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन वर्तमान में जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र.।
6. डॉ. महेश मरमट अस्थिरोग विशेषज्ञ माधव नगर चिकित्सालय उज्जैन म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ति

उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/देवास/फा.न. 64/2018 | 282 भोपाल दिनांक 08-2-2018

**आदेश**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र. के ज्ञाप क. 2056 दिनांक 07.08.2014 के द्वारा डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम को विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर 15 दिवस में संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन के माध्यम से चाहा गया था।

डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम ने अपना प्रतिवाद उत्तर प्रेषित नही किया। प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नही करने के कारण डॉ पुष्पराज सिंह के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग को विभागीय जांच अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विभागीय जांच एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

***स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।***

(डॉ. जे.पी. खरे)
उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/देवास/फा.न. 64/2018 | भोपाल दिनांक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.।
4. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन एवं प्रकरण में विभागीय जांच अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी आदेश में दी गई समायावधि में विभागीय जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम एवं प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
7. डॉ. पुष्पराज सिंह निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय रतलाम म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
9. आदेश नस्ति

(डॉ. जे.पी. खरे)
उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**मध्यप्रदेश शासन**
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
**मंत्रालय**

**//आदेश//**

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

एफ/19–01/2018/17/मेडि–1 :: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के आदेश कमांक/स्थापना/2017/7705–06 दिनांक 28.09.2017 द्वारा स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर, जिला चिकित्सालय, धार के सेवा स्वत्वों के भुगतान में घोर लापरवाही बरती जाने के कारण कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार में पदस्थ लेखापाल श्री श्रीकृष्ण मुकाती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन काल में श्री मुकाती का मुख्यालय जिला कार्यालय धार निर्धारित किया गया है ।

2/– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार के उपर्युक्त निलंबन आदेश दिनांक 28.09.2017 के विरुद्ध श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 सातवॅा भाग–अपील नियम–23 के अन्तर्गत एक अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र कमांक/स्थापना/2017/4288 दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से विभाग में प्रस्तुत किया गया । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार के पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि जिन आरोपों के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को निलंबित किया गया है वह कार्य उन्हें आवंटित ही नहीं था । ऐसी स्थिति में उनका निलंबन आदेश त्रुटिपूर्ण है और इस आधार पर उनके अपीलीय अभ्यावेदन का निराकरण कर उन्हें बहाल किया जाए ।

3/– उक्त प्रकरण के तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती, लेखापाल को स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के सेवा स्वत्वों का भुगतान न करने के कदाचरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार द्वारा निलंबित किया गया है । चूंकि श्री मुकाती सिविल सर्जन, धार के अधीन पदस्थ है अतः इनके कार्यो का सही ऑकलन सिविल सर्जन, धार के द्वारा ही किया जा सकता है । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार ने पत्र दिनांक 11.10.2017 में यह उल्लेख किया है कि श्री श्रीकृष्ण मुकाती के पास लेखा शाखा का प्रभार नहीं था और न ही कभी यह कार्य उन्हें आवंटित किया गया । जबकि लेखा शाखा का कार्य श्री देवीसिंह, लेखापाल द्वारा वर्ष 2010–11 से किया जा रहा है । अतः स्व.श्री लाखनसिंह यादव, सेवानिवृत्त ड्रेसर के देय स्वत्वों का निराकरण नहीं किये जाने के संबंध में श्री श्रीकृष्ण मुकाती दोषी नहीं हैं, अपितु लेखाशाखा के प्रभारी के रुप में श्री देवीसिंह उत्तरदायी हैं ।

4/– इस प्रकार चूंकि प्रारंभिक जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है । किन्तु प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से प्रथमतः यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लेखा शाखा का कार्य श्री मुकाती को आवंटित नहीं होने के कारण सीधे उनका उत्तरदायित्व नहीं माना जाना चाहिए । फलस्वरुप फिलहाल इन तथ्यों के आधार पर श्री मुकाती के अपीलीय अभ्यावेदन पर विचार कर निराकरण किया जाना है । यद्यपि जिन आरोपों पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती को निलंबित किया गया है, उनकी विस्तृत जांच होने के पश्चात् ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

.....2.

5/– अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार का अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2017 को मान्य करते हुए, इन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है । साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार को जांच कार्यवाही तीन माह में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ/19–01/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0 भोपाल ।
2– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर ।
3– कलेक्टर, जिला धार ।
4– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार ।
5– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार को उनके पत्र दिनांक 11.10.2017 के संदर्भ में ।
6– उप. संचालक, (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर आदेश बेबसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
7– श्री श्रीकृष्ण मुकाती, निलंबित लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, धार ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ भोपाल, दिनांक

//आदेश//

डॉ.डी.पी.सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद के विरूद्व संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश क्रमांक 4/शिका/डीई–2/2016/278, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा डॉ.के.एल.साहू, संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। डॉ.के.एल.साहू संचालक के पद से सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. के.के.ठस्सू, संचालक स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यथावत रहेंगे।

(स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. द्वारा आदेशित)

(डॉ. जे.पी.खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/4/शिका./डीई–2/2018/ ७५ भोपाल, दिनांक २५-१-१८

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला होशंगाबाद/नरसिंहपुर।
4. डॉ. के.के.ठस्सू, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि प्रकरण की जांच एक माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. उप संचालक, विज्ञप्ति/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद/नरसिंहपुर।
8. डॉ.डी.पी.सिंह,तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होशंगाबाद वर्तमान में सर्जिकल स्पेशलिस्ट जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर – द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 373/बडवानी/2018/156 भोपाल दिनांक 23-1-18

आदेश

डॉ. ए.के. मेहता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी वर्तमान में संयुक्त संचालक कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इंदौर जिला बड़वानी में पदस्थी के दौरान वर्ष 2013 में दिनांक 01.5.2013 से 21.06.2015 की अवधि में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से कलेक्टर दर पर नियुक्त कर्मचारियो को जारी नियमितिकरण आदेश संबंधी प्रकिया मे आरक्षण नियमो तथा निर्धारित रोस्टर का पालन नही किये जाने संबंधी जानकारी संज्ञान में आने पर प्रकरण की जांच संचालनालय के आडिट दल द्वारा की गई।

आडिट जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालनालय के ज्ञाप 4/शिका./सेल–2/बडवानी/एफ–373/2016/2726 दिनांक 24.12.2016 द्वारा डॉ.ए.के.मेहता के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी किया गया। जिसका डॉ. मेहता द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 16.01.2017 को प्रस्तुत किया।

डॉ. मेहता द्वारा प्रस्तुत उत्तर परीक्षणोपरांत समाधानकारक नही होने के परिणामस्वरूप प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। संस्थित विभागीय जांच में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय जांच की कार्यवाही एक माह में पूर्ण करते हुए जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 373/बडवानी/2018\157 भोपाल दिनांक 23-11-18
प्रतिलिपी:– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु:–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।

3 कलेक्टर जिला बडवानी म.प्र.।

4 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर (जांच कर्ता अधिकारी) की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जांच प्रतिवेदन आदेश में वर्णित समयावधि एक माह में संचालनालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) म.प्र. की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को अनिवार्य रूप से सहयोग प्रदान कर प्रकरण की जांच एक माह में पूर्ण करावें।

7 डॉ. ए.के. मेहता संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

8 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

9 आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.38/छतरपुर/2018/135 भोपाल, दिनांक 22-1-18

22-1-18

**आदेश**

डॉ.उषा तिवारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के विरूद्ध स्वास्थ्य केन्द्र में आनेवाली प्रसूताओं से अवैध रूप से फीस लेकर प्रसूताओं को चिकित्सालय में भर्ती करने, जननी सुरक्षा योजनातर्गत हितग्राही को लाभ नहीं मिलने के संबंध में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 09.11.2010 द्वारा डॉ.श्रीमती तिवारी को आरोप पत्र जारी किये गये। प्रतिवाद उत्तर प्राप्त न होने के कारण संचालनलाय के पत्र दिनांक 30.1.2017, 25.4.2017 एंव 27.6.2017 द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को डॉ.उषा तिवारी की तामिली रिपोर्ट एंव प्रतिवाद उत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

डॉ.श्रीमती तिवारी का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 02.11.2017 को संचालनालय में प्राप्त हुआ, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण विभागीय जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थित विभागीय जांच में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा जिला परिवार कल्याण एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित.</u>

(डॉ.जे.पी.खरे)
उप संचालक (शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें.
मध्यप्रदेश.

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/एफ.38/छतरपुर/2018/136 भोपाल, दिनांक 22-1-18
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर छतरपुर म.प्र.।
4. संचालक स्वास्थ्य सेवायें (विधान सभा)स्थानीय कार्यालय ।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर (जांचकर्ता अधिकारी )म.प्र.।
7. उप संचालक विधान सभा/विज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर [illegible] क्रमांक 4942(जुलाई, 2009) ये उद्भूत आश्वासन क्रमांक 1109 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित
8. जिला परिवार कल्याण एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
9. डॉ.श्रीमती उषा तिवारी, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव द्वारा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर म.प्र.।
10. प्रभारी,एम.आई.एस सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने के हेतु प्रेषित।
11. आदेश नस्ती।

उप संचालक (शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश.

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु / फा.254 / भोपाल दिनांक /01/2018,

**आदेश**

डॉ0 यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार को दिनांक 18.05.2011 से कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 605/607 दिनांक 28.09.2011 द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं द्वारा आरोप–पत्र जारी किया गया। डॉ0 यशोधरा मण्डलोई द्वारा प्रतिवाद उत्तर समय अवधि में प्राप्त ना होने पर स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश इनके विरूद्ध आरोपित तथ्यो की जांच हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अर्न्तगत विभागीय जांच संस्थित की जाती हैं।

अतः डॉ0 यशोधरा मण्डलोई के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधक्षीक, जिला धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

***(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)***

**(डॉ0 जे.पी.खरे)**
**उप संचालक(शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्यप्रदेश**

पृ.क.क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.254 / 10 — भोपाल दिनांक 11 /01/2018,

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय,भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (जांचकर्ता अधिकारी) इन्दौर की ओर।
3. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
4. तात्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पृष्ठांकन प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित चिकित्सक को तामील करना सुनिश्चित कर प्राप्ती अभिस्वीकृति की छायाप्रति संचालनालय को लौटती डाक से भेजें।
5. डॉ0 यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार/ डॉ0 यशोधरा मण्डलोई, चि0 अ0 3027 सेक्टर ई सुदामा नगर, इन्दौर म.प्र.पिन–452009,
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैंकि आदेश पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्टॉक फाईल।

**उप संचालक(शिकायत)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,**
**मध्यप्रदेश**

# मध्यप्रदेश शासन
# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
# मंत्रालय

## :: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 02/01/2018

क्रमांक एफ 13–07/2013/सत्रह/मेडि–1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11/08/2017 द्वारा लोकायुक्त जांच प्रकरण कमांक 167/2012–डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की विभागीय जांच में श्री उमेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. के.एल. साहू, संचालक (मलेरिया), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

2/– उल्लेखनीय है कि डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण कमांक 167/2012 में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी डॉ. के.एल.साहू, संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल दिनांक 30/12/2017 को सेवानिवतृत्त हो चुके हैं।

3/– अतः राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. साहू के स्थान पर डॉ. बी.एन. चौहान, सचांलक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13–07/2013/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 02/01/2018

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने एवं आदेश की एक प्रति डॉ. अशोक शर्मा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2– श्री उमेश कुमार,, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर जांच की शेष कार्यवाही पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत।

3– डॉ. के एल साहू, सेवानिवृत्त संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख दिनांक 04/01/2018 के पूर्व डॉ. बी.एन. चौहान, सचांलक, एन.एच.एम. को उपलब्ध करावें।

4.– डॉ. बी.एन. चौहान, सचांलक, एन.एच.एम. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 04/01/2018 के पूर्व प्रकरण से संबंधित अभिलेख डॉ. के एल साहू से प्राप्त कर अवगत करावें।

4– डॉ .अशोक शर्मा, द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग